AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।   दिनांक 16.06.2022

सर्विलांस टीम, साइबर टीम, स्वाट, सीआईडब्ल्यू व थाना सिकन्दरा पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा दानीडेटा एप के माध्यम से लोगों के करोड़ों रूपये हड़पने वाले तीन अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 10.06.2022 को वादी अनुज द्वारा थाना सिकन्दरा पर सूचना दी गयी कि मैनें ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन दानीडेटा से गेम खेलने के लिए 01 जून 2022 को फोनपे के माध्यम से रू0 1,000/– जमा किये थे। मेरे साथ कई और लोगों ने भी ऑनलाइन गेम खेलने के लिए पैसे लगाये थे। इनमें से किसी का एप चालू नहीं हो रहा है। हमारे साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़प लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 389/22 धारा 420 भादवि व 66सी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में सर्विलांस, साइबर सेल, स्वाट, सीआईडब्ल्यू सहित थाना प्रभारी सिकन्दरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 16.06.2022 को सभी पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्तगण की तलाश हेतु प्रयास किया जा रहा था। विवेचना, मुखबिर, लोगों से पूछताछ आदि विभिन्न सूचना के माध्यमों से 03 लोगों 01–विजय कुमार, 02–अंकित गोस्वामी व सिद्धार्थ गौर के नाम प्रकाश में आये। पुलिस टीमों द्वारा किये जा रहे प्रयास के दौरान तीनों व्यक्तियों के दिल्ली में होने की जानकारी प्राप्त हुयी। पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम विजय, अंकित व सिद्धार्थ गौर बताया गया। DANI DATA App के सम्बन्ध में विजय कुमार व अंकित गोस्वामी उपरोक्त ने अपनी गलती मानते हुए बताया हमने अपनी फर्म TK Colour Design Private Limited के बैंक एकाउण्ट खाते में लोगों का ट्रांजेक्शन कराया था। सिद्धार्थ गौर उपरोक्त ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए बताया कि पैसा मैंने मुख्य अभियुक्त के बताये अनुसार उसके खाते में डलवाए थे वो उसने गेमिंग एप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर कमाए थे एवं जो मेरे जरिए उसने अपने खाते में डलवाए हैं।

अभियुक्तगण (1) विजय कुमार (2) अंकित गोस्वामी व (3) सिद्धार्थ गौर तथा (4) विदेशी नागरिक के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग एप DANI DATA के माध्यम से धोखाधड़ी कर लोगों के पैसे गेम में लगवा कर उनके साथ ठगी की गयी जो कि सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66घ व 74 के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः अभियोग में धारा 66ग का लोप कर धारा 66घ/74 आई0टी0 एक्ट की वृद्धि की जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. विजय कुमार पुत्र जदन राम नि0 हरीनगर साउथ वेस्ट दिल्ली।
02. अंकित गोस्वामी पुत्र उमेश गोस्वामी नि0 जय प्रकाश नगर नोर्थ ईस्ट दिल्ली।
03. सिद्धार्थ गौर पुत्र विनोद कुमार नि0 ओएनएचएफ मधु विहार पतपड़गंज थाना मधु विहार दिल्ली।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 389/22 धारा 420 भादवि व 66घ/74 आईटी एक्ट थाना सिकन्दरा आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द कुमार शाही मय टीम थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
03. निरीक्षक श्री विनोद कुमार मय टीम प्रभारी स्वाट टीम जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार मय टीम प्रभारी सीआईडब्ल्यू टीम जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री सुल्तान सिंह मय टीम प्रभारी साइबर सेल जनपद आगरा।
05. उ0नि0 श्री सचिन धामा मय टीम प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद आगरा।
06. उ0नि0 श्री अजय कुमार स्वाट टीम जनपद आगरा।
07. उ0नि0 श्री निशामक त्यागी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।